

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219981  
SG-DL-E-17062020-219981

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]	दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 48
No. 113]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942	[N.C.T.D. 48

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून 2020

सं.फा. 18/71/2019/गृह सा0/1897.1905.—दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 02) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार माननीय मंत्री (गृह) के अनुमोदन के अनुसार दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली कारागार (5वां संशोधन) नियमावली, 2020 कहा जाए।  
(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
- नियम 1223 (I) का संशोधन :- दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 के नियम 1223 के उपनियम (I) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" "जेल में अच्छा आचरण और पिछले 3 गुड कंडक्ट रिमिशन में पुरस्कार अर्जित करना चाहिए और अच्छे आचरण को बनाए रखना चाहिए।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गृह मंत्री  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एम.के. अग्रवाल, उप-सचिव : गृह

नोट: मूल नियम दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना फा0 नं0 9/87/2018/एचजी/5980 के द्वारा अधिसूचित किया गया था और निम्नानुसार उत्तरवर्ती संशोधन किये गये।

क्र0 सं0	फाईल संख्या	दिनांक
1.	सं0फा0 9/87/2018/गृह सा0/6708.6713	05.11.2019
2.	सं0फा0 9/82/2019/गृह सा0/715-728	12.2.2020
3.	सं0फा0 18/191/2015/गृह सा0/1379-1392	23.3.2020
4.	सं0फा0 18/191/2015/गृह सा0/1673-78	22.5.2020
5.	सं0फा0 18/191/2015/गृह सा0/1840-53	08.6.2020

## HOME (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2020

**No. F.18/71/2019-(HG)/1897-1905.**—In the exercise of the powers conferred by section 71 of the Delhi Prison Act, 2000 ( Delhi Act 2 of 2002), the Government of National Capital Territory of Delhi, as per approval of Hon'ble Minister (Home), makes the following rules to amend the Delhi Prisons Rules, 2018, namely:-

1. **Short title and commencement:** - (1) These rules may be called the Delhi Prisons (Fifth Amendment) Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of Rule 1223 (I):-** In the Delhi Prisons Rules, 2018, for sub rule (I) of rule 1223, the following shall be substituted, namely:-

"I. "Good conduct in the prison and should have earned rewards in last 3 Annual Good Conduct Remission and continues to maintain good conduct."

By Order and in the Name of the Minister of Home  
Government of the National Capital Territory of Delhi,

M.K. AGGARWAL, Dy.Secy. Home

**Note:-** The Principal Rule was notified vide No. F.9/87/2018/HG/5980 dated 01/10/2018 & subsequently amended as under:-

S.No.	File No.	Date
1.	F.No.9/87/2018/HG/6708-6713	05.11.2018
2.	F.No.9/82/2019/HG/715-728	12.02.2020
3.	F.No.18/191/2015/HG/1379-1392	23.03.2020
4.	F.No.18/191/2015/HG/1673-78	22.05.2020
5.	F.No.18/191/2015/HG/1840-1853	08.06.2020